प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आधारभूत लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत जैसा कि आदेश दिया गया है तथा भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण) नियम, 2002 के नियम 5 (ii) जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया, का कार्य शुरू किया है।

तद्नुसार लेखापरीक्षा द्वारा दूरसंचार विभाग और निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ की गई कि पी एस पी द्वारा अर्जित राजस्व को सरकार के साथ पी एस पी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अनुसार सरकार के साथ साझा किया गया है।

छः ऑपरेटरों (मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया, मैसर्स रिलायंस, मैसर्स टाटा और मैसर्स एयरटेल) के संबंध में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 11 मार्च 2016 (2016 की प्रतिवेदन संख्या 4) को संसद में रखा गया था। छः ऑपरेटरों (वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए मैसर्स सिस्टेमा) के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए 2017 की प्रतिवेदन संख्या 11 में शामिल किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन में पाँच ऑपरेटरों अर्थात् मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए), मैसर्स क्वाड्रांट टेलीवेचर्स लिमिटेड (वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिए), मैसर्स विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए), टेलीनॉर ग्रुप (वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए) और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए) के राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।